शीर्ष प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

संख्या: 12 /2016/ 1183 /12-2-2016-बजट.5/2012टी0सी0

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 05 मई, 2016

विषय: प्रदेश में संचालित योजनाओं में वितरित किए जाने वाले खरीफ, 2016 से प्रमाणित बीजों पर अनुदान डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर (डी0बी0टी0) के अन्तर्गत आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से सीधे कृषकों के बैंक खातों में स्थानान्तरित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या: 8/2016/1018/12-2-2015-बजट.5/2012 दिनांक 27 अप्रैल, 2016 के द्वारा खरीफ, 2016 के लिए प्रमाणित बीजों के वितरण हेतु दिनांक 08 मई, 2016 से दिनांक 30 जून, 2016 तक की तिथि और पारदर्शी किसान सेवा योजना के अन्तर्गत कृषकों के पंजीकरण की दिनांक 05 मई, 2016 तक की तिथि निर्धारित की गयी है।

2. उक्त के क्रम में शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में संचालित योजनाओं में खरीफ वर्ष 2016 हेतु प्रमाणित बीजों का वितरण विकास खण्ड स्थित विभागीय बीज गोदामों के साथ-साथ सहकारी तथा अर्द्धसरकारी संस्थाओं के स्वसंचालित विक्रय केन्द्रों के माध्यम से भी प्रदेश के समस्त जनपदों में दिनांक 08 मई, 2016 से 30 जून, 2016 तक किया जायेगा। वर्तमान में चलाया जा रहा पंजीकरण 20 मई, 2016 तक लगातार चलता रहेगा।

3. इस सीमा तक शासनादेश संख्या: 8/2016/1018/12-2-2016 दिनांक 27 अप्रैल, 2016 संशोधित समझा जायेगा।

4. कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

भवदीय,
(इन्द्रदेव पटेल)
विशेष सचिव।

-2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 12 /2016/ 1183 (1)/12-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निजी सचिव, मा0 कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री कृषि (श्री राजीव कुमार सिंह तथा श्री राधे श्याम सिंह जी), उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग/सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. ग्राम्य विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, लखनऊ।
13. निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ।
14. अपर कृषि निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
15. समस्त परियोजना अधिकारी, कृषि भवन, लखनऊ।
16. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
17. समस्त जनपदीय उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
18. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
19. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
20. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
21. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
22. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।